न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 25/2023

अनवान : –

1. अरविन्द कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी चक 8 एमकेएस बशीर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ । **प्रार्थी**

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 8 एमकेएस बशीर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मनीष सहारण पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी चक 9 एमकेएस बशीर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आरटीए

उपस्थिति :– बीएस थिन्द प्रार्थी अधिवक्ता
जेएन शर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता

20/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 व 2 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 व 2 का परिवार मिताक्षरा शाखा से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार है उक्त परिवार के कर्ता मनीराम हैं जिन्हे विरासत ने अपने पिता नानूराम से तहसील टिब्बी मे काफी मात्रा मे कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जो वर्तमान मे टिब्बी तहसील के विविध चको मे प्रार्थी के पिता अप्रार्थी स. 1 भूप सिंह व प्रार्थी के छोटे भाई अप्रार्थी स. 2 मनीष सहारण के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है –चक न. 7 एमकेएस खाता स. 55/32 की1.7330है. 7 एमकेएस के खाता सं0 56/61 की 3.7950है. 7 एमकेएस के खाता सं0 64/62 की 7.7380है. चक 8 एमकेएस के खाता सं0 93/106 की 1.0120 है. कुल कृषि भूमि 14.2780 है. (56 बीधा 8 बिस्वा) उपरोक्त सभी चको की कृषि भूमि से संबधित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है । उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं विरासतन प्राप्त होने के बाद उक्त कृषि 2 को विरासतन प्रत्येक का स. 1 व अप्रार्थी स. 1 व 2 को भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1/3 की दर से उपरोक्त संयुक्त परिवार की विरासतन कृषि भूमि 14.2780 है. अर्थात 56 बीधा 8 बिस्वा मे प्रार्थी का 1 ६ 3 हिस्सा के अनुसार 4.7593है. कृषि भूमि का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी मृतक श्री मनीराम के पुत्र प्रतिवादी स. 1 भूपसिह का पुत्र होने से प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि मे जन्म से प्राप्त अधिकार अपने पिता भूप सिंह के समतुल्य है उक्त कृषि भूमि वर्तमान मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 के परिवार की सहदायी की कृषि भूमि है। जो कि वर्तमान मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 व 2 के संयुक्त कब्जाकाश्त में है । उक्त कृषि भूमि का कभी भी विभाजन नही हुआ है। जिसे संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा काश्त की जा रही है। प्रार्थी अपने काम से विदेश मे काम करता है। तथा समय समय पर अपने घर परिवार मे आता जाता रहता है। अप्रार्थी स. 1 अप्रार्थी स. 2 के पूर्णतया प्रभाव मे है तथा अप्रार्थी स. 1 मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर है जो अप्रार्थी स. 2 के अनुचित प्रभाव में है । अप्रार्थी स. 2 प्रार्थी को आर्थिक नुकसान पहुचाने के आशय से अप्रार्थी स. तथा उक्त 1 व 2 के नाम कृषि भूमि को अपने या किसी के नाम करवा सकता है। अप्रार्थी स. अब पूर्णतया बदयान्ति पर है। और अपने नाम से हुए राजस्व अभिलेख मे गलत अंकन के आधार पर उक्त कृषि भूमि को बिना किसी विधिक अधिकारिता के विधि विरूद्ध तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय, व अन्य प्रकार से अंतरित करने हेतू उक्त कृषि भूमि के संबध मे अंतरण तेयार व तत्पर है। तथा विलेख का अन्य किसी प्रकार के विलेख निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाने का वर्तमान राजस्व अभिलेख मे परिवर्तन करवाने हेतू व 2 अपने आशय मे सफल हो जाते है तत्पर है। अप्रार्थी स. तो प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार अपने विधिक अधिकारो से वंचित रह रूप से वाद बाहुल्य बढेगा । जावेगा और अनावश्यक पक्षकारो

Scanned with CamScanner

का समय व धन अनावश्यक रूप से बर्बाद होगा, ऐसी परिस्थितियो मे प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष मे है । तथा अप्रार्थी स. सम्पति अंतरित किये जाने से प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति घन द्वारा नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति मे 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 विधिक रूप से अधिकारी एवं दावेदार प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दो दिन पूर्व निवेदन किया वे प्रार्थी का सहयोग कर विधि के प्रावधानो के अनुसार अपने दादा पडदादा 3 मे वर्णित कृषि भूमि से विरासतन प्राप्त वाद पत्र की चरण स. मे वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित करवाने तथा प्रार्थी को इसके हक व हिस्सा के अनुसार प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मान लेने तथा उक्त कृषि भूमि के अंतरण का कोई अभिलेख निष्पादित व पंजीबद्ध नही करवाने तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख मे किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से निषेध व 2 ने प्रार्थी के निवेदन को ठुकरा रहे, लेकिन अप्रार्थी स. दिया और स्पष्ट धमकी दी कि वे वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त कृषि भूमि को अपनी इच्छा अनुसार रहन विक्रय या किसी भी अन्य प्रकार से अंतरित करेगे, बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है । . अतः 212 मय आर. टी. ए. 1 व 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी स. अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि उक्त कृषि भूमि के किसी भू भाग को किसी अन्य प्रकार से रहन, विक्रय या किसी भी व्यक्ति को अंतरित करने से निषेध रहे तथा उक्त कुल कृ षि भूमि मे से किसी भी भू भाग का किसी प्रकार का कोई विक्रय विलेख या अंतरण विलेख निष्पादित एवं पंजीबद्ध करने से निषेध रहे तथा राजस्व अभिलेख की वर्तमान की स्थिति यथावत रखे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि **प्रार्थना–पत्र** की चरण संख्या–1 में वर्णित तथ्य उक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन यह वादपत्र कतई गलत, विधि विरूद्ध व महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है, अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं है। प्रार्थी ने इस चरण में जो वंशावली अंकित की है, वह अधूरी है। प्रार्थी ने स्व० श्री नानूराम की पुत्री सावित्री का उल्लेख नहीं किया है व इसी प्रकार स्व० श्री मनीराम के पुत्र स्वव देवेन्द्र के वारिसों का भी उल्लेख नहीं किया है । स्व० श्री देवेन्द्र के दो विवाह हुये थे। प्रथम पत्नी का नाम मुन्नीदेवी व द्वितीय पत्नी का नाम विमला उर्फ गुड्डीदेवी है तथा स्व0 श्री देवेन्द्र के एक पुत्र अक्षय कुमार व दो पुंत्रियां एकता व शीतल है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व झूठ है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिन्दू परिवार हो । प्रार्थी का यह कथन भी अस्वीकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के परिवार के कर्ता मनीराम हो । प्रार्थी द्वारा इस चरण में उल्लेखित चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 55/32 की 1.733 हैक्टेयर व चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 56 / 61 की 3.795 हैक्टेयर व चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 64 / 62 की 7.738 हैक्टेयर भूमि व चक 8 एमकेएस के खाता संख्या 93 /106 की 1.012 हैवटेयर भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति हो । प्रार्थी ने उक्त वर्णित भूमि पैतृक अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा इस चरण में वर्णित चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 55/32 तादादी 1.733 हैक्टेयर भूमि पैतृक व सहदायिक सम्पति नहीं है बल्कि यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई स्व० श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा स्व० श्री तारूराम जाति ब्राहम्ण निवासी बशीर – से जरिये इकरारनामा दिनांक 17.08.1996 खरीद की हुई थी। इस भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व स्व0 देवेन्द्र कुमार ने स्व० श्री तारूराम के वारिसान के विरूद्ध दीवानी वाद संख्या 108/2012 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 23.01.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 व स्व० श्री देवेन्द्र कुमार के पक्ष में डिक्री हुआ तथा इस डिक्री की पालना में न्यायालय के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1 / 2 हिस्सा व स्व० श्री देवेन्द्र कुमार के वारिसान श्रीमति मुन्नीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार व श्रीमति गुड्डीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार

Scanned with CamScanner

अक्षय कुमार पुत्र स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार व एकता, शीतल पुत्रिया स्व० श्री देवेन्द्र कुमार के नाम बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा का बैयनामा पंजीकृत हुआ । इस प्रकार चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 55/32 के पत्थर नंबर 195/227 (14) किला नंबर 22 से 25 व पत्थर नंबर 195/228 (19) किला नंबर 2, 3, पत्थर नंबर 196/227 (13) किला नंबर 21 कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त नहीं हुई है बल्कि पूर्वोक्त वर्णित तथ्यों की रोशनी में स्व० श्री तारूराम जाति ब्राहम्ण के वारिसान से खरीद शुदा है तथा विक्रय अनुबंध की विशिष्ट पालना की डिक्री दिनांक 23.01.2014 से अप्रार्थी संख्या 1 व स्व० श्री देवेन्द्र कुमार के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। स्व० श्री देवेन्द्र कुमार के वारिसान ने उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख अन्तरित किया है। प्रार्थी ने उक्त खाता संख्या 55 / 32 की 1.733 हैक्टेयर भूमि को मिथ्या रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार अथवा सहदायिकी सम्पति होने का मिथ्या कथन किया है। चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 56 / 61 की 3.795 हैक्टेयर भूमि का प्रश्न है। यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज तकसीमनामा दिनांक 24.05.1972 से प्राप्त हुई है। वर्णित चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 64ध62 की 7.738 हैक्टेयर भूमि का संबंध है। यह भूमि पैतृक अथवा सहदायिक सम्पति नहीं है बल्कि यह भूमि श्योचन्द वगैरा की खातेदारी भूमि थी तथा इस भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया के समक्ष राजस्व वाद संख्या 135 / 96 विचाराधीन रहा। इस राजस्व वाद संख्या 135 / 96 शीर्षक "भूप सिंह आदि बनाम श्योचन्द आदि" में निर्णय दिनांक 03.08.1996 अप्रार्थी संख्या 1 व स्व0 देवेन्द्र कुमार को चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 8 / 12 के पत्थर नंबर 197 / 227 किला नंबर 8, पत्थर नंबर 195 / 227 किला नंबर 9 से 12, 19 से 21, पत्थर नंबर 194 / 227 किला नंबर 2, 3, 4, 6 से 20, 22 से 25, पत्थर नंबर 193 / 227 किला नंबर 6, पत्थर नंबर 194 / 228 किला नंबर 2 से 7 तथा पत्थर नंबर 195 / 228 के किला नंबर 1 कुल 38 बीघा भूमि में बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया गया। यह निर्णय अंतिम हो चुका है। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.1996 संलग्न प्रार्थना–पत्र है। इस प्रकार उक्त 38 बीघा भूमि कथित रूप से पैतृक या सहदायिक सम्पति नहीं है। इस 38 बीघा भूमि में स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार का 1/2 हिस्सा अर्थात् 19 बीघा था जो तबादला की रूह से अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त हुआ है। इस भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ने पत्थर नंबर 194 / 227 के किला नंबर 2, 3, 4 तबादला में दे दी तथा 4 बीघा भूमि का तबादला मनोज दत्तक पुत्र मलूराम के साथ किया। इस प्रकार वर्तमान खाता संख्या 64 / 62 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2.931 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 4.807 हैक्टेयर व मनोज कुमार दत्तक पुत्र मलुराम के नाम 1.012 हैक्टेयर व राजीव गोदारा पुत्र श्री दलीप सिंह के नाम 0.105 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस भूमि की प्रकृति पैतृक या सहदायिक सम्पति नहीं है। प्रार्थी ने मिथ्या कथन किये है। जहां तक चक 8 एमकेएस के खाता संख्या 93 ध 106 की 1.012 हैक्टेयर भूमि का प्रश्न है । यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने खाता संख्या 64ध62 में मनोज कुमार पुत्र मलुराम को जो 1.012 हैक्टेयर भूमि दी है, उसके तबादला में मनोज कुमार ने चक 8 एमकेएस में पत्थर नंबर 192ध219 (35) के किला नंबर 12 से 25 अप्रार्थी संख्या 1 को तबादला में दी है तथा इस प्रकार यह भूमि भी पैतृक अथवा सहदायिक सम्पति नहीं है । वर्णित चारो खातों की भूमि के स्त्रोत (छनबसमने) के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । प्रार्थी का यह कथन कतई झूठ है कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चारो खातों की कुल भूमि 14.278 हैक्टेयर में प्रार्थी का विरास्तन 1 / 3 हिस्सा हो । उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हित नीहित नहीं है। प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज भूमि को आशय छिपाया है जिसके संबंध मेंचरण संख्या – 5 में वर्णित तथ्य कतई गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा झूठ है कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित 14.278 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के परिवार की सहदायिक सम्पति हो और कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का संयुक्त कब्जा काश्त हो । उक्त वर्णित भूमि पर ना तो प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा ना ही प्रार्थी उक्त भूमि के संबंध में अधिकारों की घोषणा अथवा खाता विभाजन का अधिकारी है। प्रार्थी का विदेश न्यूजीलैण्ड में निवास करना स्वीकार है । प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या – 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र की गर्ज हेतु मिथ्या व निराधार कथन किये है। अप्रार्थी संख्या 1 ना तो मानसिक रूप से व ना ही शारीरिक रूप से कमजोर है तथा

Scanned with CamScanner

ना ही अप्रार्थी संख्या 2 के अनुचित प्रभाव में है। वस्तुतः प्रार्थी लालच वश हो गया है तथा उसने अप्रार्थी संख्या 1 के प्रति पुत्र दायित्वों का निर्वहन करना त्याग दिया है तथा अपने ससुराल पक्ष के बहकावे में आकर यह मिथ्या आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास 43 बीघा भूमि है जिसे प्रार्थी ने साशय छिपाया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को प्रार्थना – पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में एकल व निरपेक्ष अधिकार है तथा इस भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हित नीहित नहीं है तथा इस भूमि के संबंध में प्रार्थी किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थना–पत्र की चरण अंकित किये गये है। संख्या – 7 में वर्णित तथ्य कतई गलत व निराधार पूर्वोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थना–पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित 14.278 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है तथा इस भूमि के संबंध में प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज होने योग्य है । प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाये है। प्रार्थी के नाम चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 6 / 8 में 2.531 हैक्टेयर भूमि है जो उसने अप्रार्थी संख्या 1 की भुआ श्रीमति सावित्रीदेवी पुत्री श्री नानूराम से जरिये डिक्री दिनांक 12.11. 2009 हासिल की है। इसके अलावा प्रार्थी को दादा श्री मनीराम पुत्र श्री नानूराम की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.03.2007 के जरिये चक 9 एमकेएस में 7.653 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से प्रार्थी के नाम चक 11 एसबीएन में बेशकीमती 2 बीघा भूमि खरीद कर दी हुई है। प्रार्थी एक तरफ तो समस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होना व्यक्त कर रहा है जबकि अपने नाम दर्ज उक्त भूमि को जानबूझकर छिपाया है। स्व० श्री मनीराम की इसी वसीयत दिनांक 05.03.2007 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 को चक 7 एम.के.एस. के खाता संख्या 35 में दर्ज 9.614 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 4.807 हैक्टेयर भूमि वसीयत में प्राप्त हुई है तथा वसीयत में प्राप्त उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 ने स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार के वारिसान से तबादला कर चक 7 एमकेएस के खाता संख्या 64ध62 में 4.807 हैक्टेयर भूमि प्राप्त की है जो अप्रार्थी संख्या 2 की वसीयत से प्राप्त सम्पति होने के कारण स्वअर्जित सम्पति है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर परस्पर मिलीभगत किये जाने व अप्रार्थी संख्या 1 पर अप्रार्थी संख्या 2 का अनुचित प्रभाव होने के मिथ्या कथन किये है तथा प्रार्थी ने जबाव दावा की चरण संख्या 10 में वर्णित अपने नाम दर्ज भूमि को साशय छिपाया है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। इस कारण भी प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थी ने तथ्य छुपाकर दिनांक 22.03.2023 को एकपक्षीय स्थगन हासिल किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित मिथ्या कथनों के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थी सं0 1 व 2 ने जरिये वसीयतनामा, रजिस्ट्रर्ड बैयनामा व डिक्री के जरिये प्राप्त की है। अप्रार्थीगण वाद भूमि के रिकोर्ड खातेदार है। प्रार्थी के हक हिस्सों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थी को अपना वाद साबित करना है। प्रस्तुत दस्तावेजों

Scanned with CamScanner

से प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि प्रार्थी की पैतृक संपति होना जाहिर नहीं होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी ने पूर्व में भी जरिये डिक्री दिनांक 12.11.2009 को चक 7 एमकेएस के खाता सं0 6/8 में 2.531है0 भूमि व जरिये वसीयत दिनांक 05.03.2007 को चक 9 एमकेएस में 7.653है0 भूमि प्राप्त कर रखी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी का नियमित उपयोग–उपभोग कर रहा है। यदि अप्रार्थीगण को उनके हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थी स्वंय अपने नाम दर्ज खातेदारी का उपयोग–उपभोग कर रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हिस्सा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्व साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner